



राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना-800022

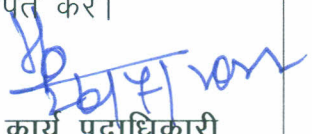
अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद

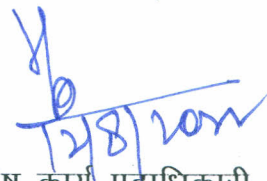
संख्या-34 (लो0सू0अ0)/2022-23

श्री संजय कुमार, पिता-स्व. लाल बाबू सिंह, ग्राम+पोस्ट-देसरी, जिला-वैशाली, पिन नं.-844504

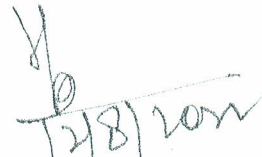
बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
26.07.2022	श्री संजय कुमार, पिता-स्व. लाल बाबू सिंह, ग्राम+पोस्ट-देसरी, जिला-वैशाली, पिन नं.-844504 के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक-18.07.2022 इस कार्यालय में दिनांक-20.07.2022 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रुपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या-59F 393980 दिनांक-अस्पष्ट संलग्न है। इसे लेखा शाखा को हस्तगत कराये। अपीलार्थी श्री संजय कुमार ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक-06.05.2022 को सूचना अधिकार अधिनियम- 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन राज्यपाल सचिवालय को दिया था, परंतु लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने के फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है। साथ ही अपीलार्थी ने उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक- 06.05.2022 की प्रति भी संलग्न किया है। अतः लोक सूचना पदाधिकारी से उपर्युक्त प्रपत्र 'क' दिनांक-06.05.2022 से संबंधित अभिलेख की माँग करें तथा अभिलेख पुनः सुनवाई हेतु दिनांक-12.08.2022 को उपस्थापित करें। सभी संबंधित को सूचित करें।  विशेष कार्य पदाधिकारी -सह- प्रथम अपीलीय प्राधिकार	

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
12.08.2022	लोक सूचना पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त प्रतिवेदन के अनुसार लोक सूचना पदाधिकारी ने अपने पत्रांक-आर.टी.आई. /बी.आर.ए.बी.यू.-46 / 2022 -134 / रा.स.(I) दिनांक-18.05.2022 के माध्यम से अपीलार्थी श्री संजय कुमार, पिता-स्व. लाल बाबू सिंह, ग्राम+पोस्ट-देसरी, जिला-वैशाली, पिन नं.-844504 को उनके प्रपत्र 'क' दिनांक-06.05.2022 के क्रम में सूचना/निर्णय प्रेषित किया जा चुका है। विदित हो कि अपीलकर्ता श्री संजय कुमार ने लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने के फलस्वरूप अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अपील दायर किया था। अपीलार्थी स्वयं उपस्थित है तथा उन्होंने यह उल्लिखित किया है कि उनके द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर से इस सचिवालय के पत्रांक- आर.टी.आई. /बी.आर.ए.बी.यू.-01 / 2022 -259 / रा.स.(I) दिनांक-04.03.2022 के माध्यम से 30 दिनों के अंदर कृत कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन की मांग की गई थी, परंतु यह प्राप्त हुआ अथवा नहीं इस की सूचना नहीं दी गई है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में यह प्रतीत होता है कि मामला बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के प्रतिवेदन प्राप्त होने अथवा नहीं होने से संबंधित सूचना की मांग अपीलार्थी द्वारा की जा रही है। अतः निदेश दिया जाता है कि लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय/कुलसचिव, बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर प्रतिवेदन प्राप्त होने/भेजने के संबंध में सूचना अपीलार्थी को आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर नियमानुसार उपलब्ध करा दें। तदनुसार वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।  विशेष कार्य पदाधिकारी -सह- प्रथम अपीलीय प्राधिकार	

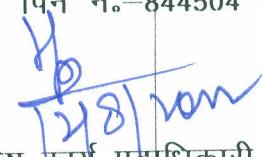
अपील वाद संख्या-34 / 2022-23

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
12.08.2022	लोक सूचना पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त प्रतिवेदन के अनुसार लोक सूचना पदाधिकारी ने अपने पत्रांक-आर.टी.आई. / बी.आर.ए.बी.यू.-46 / 2022 -134 / रा.स.(I) दिनांक-18.05.2022 के माध्यम से अपीलार्थी श्री संजय कुमार, पिता-स्व. लाल बाबू सिंह, ग्राम+पोस्ट-देसरी, जिला-वैशाली, पिन नं.-844504 को उनके प्रपत्र 'क' दिनांक-06.05.2022 के क्रम में सूचना/निर्णय प्रेषित किया जा चुका है। विदित हो कि अपीलकर्ता श्री संजय कुमार ने लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने के फलस्वरूप अधोहरताक्षरी के समक्ष अपील दायर किया था। अपीलार्थी स्वयं उपस्थित है तथा उन्होंने यह उल्लिखित किया है कि उनके द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर से इस सचिवालय के पत्रांक- आर.टी.आई. / बी.आर.ए.बी.यू.-01 / 2022 -259 / रा.स.(I) दिनांक-04.03.2022 के माध्यम से 30 दिनों के अंदर कृत कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन की मांग की गई थी, परंतु यह प्राप्त हुआ अथवा नहीं इस की सूचना नहीं दी गई है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में यह प्रतीत होता है कि मामला बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के प्रतिवेदन प्राप्त होने अथवा नहीं होने से संबंधित सूचना की मांग अपीलार्थी द्वारा की जा रही है। अतः निर्देश दिया जाता है कि लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय/कुलसचिव, बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर प्रतिवेदन प्राप्त होने/भेजने के संबंध में सूचना अपीलार्थी को आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर नियमानुसार उपलब्ध करा दें। तदनुसार वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।  विशेष कार्य पदाधिकारी —सह— प्रथम अपीलीय प्राधिकार	

ज्ञापांक- 1075/रा.स.0(ii)

दिनांक- 16.08.2022

प्रतिलिपि:- लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना / श्री संजय कुमार, पिता-स्व. लाल बाबू सिंह, ग्राम+पोस्ट-देसरी, जिला-वैशाली, पिन नं.-844504 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी

011